



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०

"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक: अधि० "क"/(प्रति०नियु०)/2018- 735

दिनांक: 21/04/2018

विज्ञप्ति

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र० में निम्न विवरणानुसार पदों को अन्य सरकारी विभागों के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति से भरा जाना प्रस्तावित है:-

क्र.	पदनाम	प्रतिनियुक्ति हेतु पदों की संख्या	छठवें वेतनमान में वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	कार्मिक की वांछित शैक्षिक अर्हता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
	समूह "ख" मण्डी परिषद सेवा				
1	विपणन अधिकारी	02	15600-39100 ग्रेड वेतन 5400	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि। अधिमानी:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि अर्थशास्त्र/कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ए.आई. सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एम.बी.ए. (एग्रीबिजनेस मैनेजमेन्ट) अथवा समकक्ष उपाधि।	
2	लेखा एवं सम्प्रोक्षाधिकारी	10	15600-39100 ग्रेड वेतन 5400	एक विषय के रूप में लेखा शास्त्र के साथ वाणिज्य में स्नातक और किसी उत्तर दायित्व पूर्ण हैसियत में लेखा कार्य का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव। अधिमानी:- लेखा परीक्षा/लेखा में उच्च अर्हता के लिए अधिमान दिया जायेगा।	
3	सहायक अभियन्ता(सिविल)	20	15600-39100 ग्रेड वेतन 5400	जैसाकि राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग में इस पद पर नियुक्ति के लिए विहित है।	
4	सहायक अभियन्ता (वि०/या०)	04	15600-39100 ग्रेड वेतन 5400	जैसाकि राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग में इस पद पर नियुक्ति के लिए विहित है।	
	मण्डी समिति सेवा				
5	सचिव श्रेणी-2	10	15600-39100 ग्रेड वेतन 5400	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि। अधिमानी:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र/कृषि विपणन में स्नातकोत्तर	

				उपाधि अथवा ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एम.बी.ए. (एग्रीबिजनेस मैनेजमेन्ट) अथवा समकक्ष उपाधि।
	योग-	46	-	
	समूह "ग"			
	मण्डी परिषद सेवा			
6	अवर अभियन्ता(सिविल)	70	9300-34800 ग्रेड वेतन 4200	जैसाकि राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग में इन पदों पर नियुक्ति के लिए विहित है।
7	अवर अभियन्ता(वि०/या०)	10	9300-34800 ग्रेड वेतन 4200	जैसाकि राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग में इन पदों पर नियुक्ति के लिए विहित है।
8	लेखालिपिक	48	5200-20200 ग्रेड वेतन 2400	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में लेखाशास्त्र के साथ बी०काम०। अधिमानी:- लेखा परीक्षा कार्य में अनुभव रखने वाले व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा।
	मण्डी समिति सेवा			
9	सचिव श्रेणी-3 ग्रेड-2	30	9300-34800 ग्रेड वेतन 4200	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, कृषि विपणन, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि। अधिमानी:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र/कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एम.बी.ए. (एग्रीबिजनेस मैनेजमेन्ट) अथवा समकक्ष उपाधि।
10	लिपिक सह टंकक, रोकड़िया सह लिपिक/लेखालिपिक	75	5200-20200 ग्रेड वेतन 2400	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। अधिमानी:- रोकड़ संभालने का अनुभव और लेखा रखने का ज्ञान और हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति।
	योग-	233	-	


प्रतिनियुक्ति हेतु अर्हता, कार्यकाल तथा सामान्य नियम एवं शर्तें निम्नवत् हैं:-

- (1) प्रतिनियुक्ति हेतु नियमित सरकारी सेवा करने वाले कार्मिक ही पात्र होंगे।
- (2) प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिक का मूल विभाग में पद एवं वेतनमान, मण्डी परिषद के सम्बन्धित पद एवं वेतनमान के समकक्ष होना चाहिए।
- (3) 55 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण करने वाले कार्मिकों को प्रति नियुक्ति पर नहीं लिया जायेगा।
- (4) सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विगत वर्षों (अधिक की स्थिति में अन्तिम 10 वर्षों) में कोई दण्डादेश व प्रतिकूल प्रविष्टि विद्यमान न हो तथा सभी वर्षों की सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो। वर्तमान में कोई अनुशासनिक कार्यवाही, प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही एवं आपराधिक आरोप पर किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन न हो।
- (5) प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल सम्बन्धित पद पर आयोग को प्रेषित अधियाचन के क्रम में सीधी भर्ती की कार्यवाही पूर्ण होने अथवा 03 वर्ष जो भी कम हो, तक के लिए होगा। प्रतिनियुक्ति पर

कार्यरत किसी भी कर्मी की प्रतिनियुक्ति को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार मण्डी परिषद को होगा।

- (6) प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक एवं पात्र कार्मिकों द्वारा अपना आवेदन पत्र पैतृक विभाग के माध्यम से मण्डी परिषद को भिजवाया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँचोपरान्त उपयुक्त पाये गये आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में उनके मूल विभाग से विगत(अधिक की स्थिति में अन्तिम 10) वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के सार संक्षेप प्रासंगिक वैयक्तिक सेवा अभिलेखों यथा दण्ड आदि के विवरण तथा बाह्य सेवा की सामान्य शर्तों को मूल विभाग से प्राप्त किया जायेगा।
- (7) किसी भी सरकारी सेवक को मण्डी परिषद में दूसरी बार प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने से पूर्व पैतृक विभाग में बीच की सेवा अवधि सामान्यतया कम से कम दो वर्ष होगी।
- (8) प्रतिनियुक्ति पर आने हेतु सम्बन्धित कार्मिक को पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर मण्डी परिषद में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (9) आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति देने अथवा पैतृक विभाग से अग्रसारित हो जाने अथवा पैतृक विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देने से किसी कार्मिक को प्रतिनियुक्ति पर चयन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (10) बाह्य सेवकों का मण्डी परिषद में किसी भी दशा में आमेलन नहीं किया जायेगा।
- (11) प्रतिनियुक्ति के दौरान किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाने पर मृतक आश्रित के सेवायोजन सम्बन्धी कोई लाभ मण्डी परिषद से देय नहीं होगा।
- (12) प्रतिनियुक्ति पर योगदान करते समय सम्बन्धित कार्मिक को इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग देनी होगी कि मण्डी परिषद में प्रतिनियुक्ति अवधि में उक्त सभी शर्तें एवं प्राविधान उन पर लागू होंगे और वह इसके विपरीत कोई कार्य नहीं करेगा।
- (13) प्रतिनियुक्ति के विषय में उ0 प्र0 शासन से समय-समय पर निर्गत शासनादेश सम्बन्धित कर्मियों पर लागू होंगे।
- (14) मण्डी परिषद में प्रतिनियुक्ति पर आये कार्मिक/अधिकारी का सेवायोजन सम्बन्धी किसी भी प्रकार का विवाद यदि मण्डी परिषद से होता है तो न्यायिक क्षेत्र/स्थान लखनऊ होगा।
- (15) मण्डी परिषद में प्रतिनियुक्ति पर आये कार्मिक/अधिकारी का मण्डी परिषद/समिति सेवा से सम्बन्धी कोई प्रकरण यदि उत्पन्न होता है तो वे प्रथमतः अपना प्रत्यावेदन निदेशक मण्डी परिषद अथवा मण्डी परिषद/मण्डी समिति सेवा के समकक्ष पद के नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

- नोट:1. प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक कार्मिकों के आवेदन पत्र दिनांक: 15.05.2018 तक ग्राह्य किये जायेंगे। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र विचार हेतु ग्राह्य नहीं होंगे।
2. प्रतिनियुक्ति हेतु संलग्न प्रारूप पर आवेदन पत्र निदेशक मण्डी परिषद को सम्बोधित कर उपलब्ध कराए जायेंगे।
 3. प्रतिनियुक्ति हेतु रिक्त पदों का विवरण, अर्हता, कार्यकाल सामान्य नियम एवं शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप मण्डी परिषद की वेबसाइट— www.upmandiparishad.in पर भी देखी एवं डाउनलोड की जा सकती हैं।


21.4.18
(रमाकान्त पाण्डेय)
निदेशक

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद में मण्डी परिषद सेवा एवं मण्डी समिति सेवा में
प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

अद्यावधिक
पासपोर्ट साईज
का फोटोग्राफ

आवेदन-पत्र

1. आवेदक का पूरा नाम-
2. पिता का नाम-
3. जन्मतिथि-
4. पैतृक विभाग का विवरण-
(क) विभाग का नाम
- (ख) विभागाध्यक्ष का पदनाम
- (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम
5. पैतृक विभाग में नियुक्ति का विवरण-
(क) प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि
- (ख) योगदान तिथि
- (ग) प्रथम नियुक्ति का पद
- (घ) प्रथम नियुक्ति के समय शैक्षिक अर्हता
6. वर्तमान पद का विवरण-
(क) वर्तमान पदनाम-
- (ख) पद का साधारण वेतनमान एवं
ग्रेडवेतन
- (ग) ए०सी०पी० के रूप में प्राप्त हो रहा
वेतनमान एवं ग्रेड वेतन
- (घ) कुल परिलब्धियाँ
7. आरक्षित वर्ग/सामान्य वर्ग-
8. गृह निवास का पता-
(क) स्थाई
- (ख) अस्थायी
9. मण्डी परिषद/मण्डी समिति में पूर्व में
प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहने की
स्थिति में विवरण-
(क) पदनाम-
- (ख) तैनाती कार्यालय का नाम एवं कार्य
अवधि
10. मण्डी परिषद/मण्डी समिति सेवा में
प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदित पद-
11. मोबाइल नं०-

दिनांक:-
स्थान:-

हस्ताक्षर:-
आवेदक का नाम:-

घोषणा-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई उपर्युक्त सभी सूचनाएं सही हैं। यह भी प्रमाणित करता हूँ कि विगत 10 वर्षों में मेरे विरुद्ध कोई दण्डादेश या प्रतिकूल प्रविष्टि विद्यमान नहीं है तथा सभी वर्षों की सत्यनिष्ठा प्रमाणित है। वर्तमान में मेरे विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही, प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही एवं आपराधिक आरोप पर किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है।

दिनांक:-

स्थान:-

हस्ताक्षर:-

आवेदक का नाम:-